

नवीं अनुसूची
[धारा 86(ख) देखिए]

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
(1)	(2)	(3)	(4)	
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की दूसरी अनुसूची में,—				5
(क) टैरिफ मद 2401 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मदें और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—				
‘2403 10 10	--- हुक्का और गुडकू तंबाकू	कि.ग्रा.	16%”	
2403 91 00	--- “समांगीकृत” या “पुनर्रचित” तंबाकू	कि.ग्रा.	16%”;	
(ख) टैरिफ मद 2403 99 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—				
“2403 99 30	--- जर्दा सुगंधित तंबाकू	कि.ग्रा.	16%”;	10
(ग) टैरिफ मद 2403 99 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—				
“2403 99 60	--- तबांकू निष्कर्ष और सत	कि.ग्रा.	16%”।	